रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I
PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 212] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 1998/आश्विन 3, 1920
No. 212] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 1998/ASVINA 3, 1920

योजना आयोग

दिनांक 25 जुलाई, 1998 के संकल्प के संदर्भ में

शुद्धि पत्र-II

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1998

सं0 आई टी-टी एफ/5/98 - भारत के राजपत्र के भाग-I, खंड-I में प्रकाशित योजना आयोग के समसंख्यक पत्र व शुद्धिपत्र-I के संदर्भ में निम्नलिखित अन्य त्रुटियों को निम्नानुसार सही माना जाए :

पंक्ति/मद संख्या	के स्थान पर	पढ़ा जाए
मद सं. 1	दूर-संचार..... दुरुपयोग न हो,	दूर-संचार विभाग तथा प्राधिकृत आई एस पी द्वारा 26 जनवरी, 2000 तक सभी जिला मुख्यालय और प्राधिकृत स्थानीय प्रसार-क्षेत्रों में इंटरनैट अधिगम नोड खोले जाएँगे । अंतरिम उपाय के रूप में और जब तक कि नोड सभी स्थानीय प्रसार क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं कराये जाते तब तक समीपस्थ इंटरनैट अधिगम नोड से संपर्क, 15 अगस्त, 1998 से उत्तरोत्तर रूप में, स्थानीय कॉल दरों पर होगा । यह सुनिश्चित करने के लिए आई एस पी जिम्मेदार होगा कि टेलीफोन ट्रैफिक के लिए इस सुविधा का दुरुपयोग न हो ।
मद सं. 3 की तीसरी पंक्ति	लीज-किराया प्रभारों में से एक तरफ के	लीज-किराये को सिंगल
मद सं. 4 की छठी पंक्ति	वित्त	विथ
मद सं. 8	इंटरनेट ...तैयार करेगा	इंटरनेट के लिए अन्तर्राष्ट्रीय गेटवे पर वी एस एन एस का एकाधिकार वापिस लिया जायेगा और प्राधिकृत सार्वजनिक/सरकारी संगठनों को वी एस एन एल गेटवे के माध्यम से जाए बिना इंटरनेट गेटवे अधिगम एवं अन्तर्राष्ट्रीय लीज सर्किट सुविधा को सीधे ही उपलब्ध कराने की अनुमति दी जायेगी । निजी आई एस पी को सुरक्षा संबंधी अनुमति प्राप्त करने के बाद ऐसे गेटवे को उपलब्ध कराने की अनुमति दी गयी है जिसके लिए प्राइवेट आई एस पी केन्द्रों का इंटरफेस केवल डॉट के साथ होगा जोकि विविध सुरक्षा एंजेन्सियों से सुरक्षा संबंधी निपटान की प्राप्ति के लिए एक प्रक्रिया संबंधी प्रणाली तैयार करेगा ।

मद सं. 9	रेलवे, राज्य ..की जाएगी	रेलवे, राज्य विद्युत बोर्डों और राष्ट्रीय ताप ग्रिड निगम को बेसिक और मूल्य आधारित सेवाओं के लिए डॉट के लाइसेंसियों या डॉट को डॉटा की ज्यादा/अतिरिक्त क्षमता डॉटा लीज आधार पर सम्प्रेषित करने के लिए या जहाँ कहीं भी लागू हो वहाँ लाइसेंस की शर्तों के साथ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडरों को लेते हुए अन्य उपभोक्ताओं को देने की छूट प्रदान की जायेगी ।
मद सं. 12	बारम्बार हस्तक्षेप करने	आवृत्ति अवरोध
मद सं. 13	2,400-2,4835 ...प्रतिनिधि होंगे	2,400-2,4835 गेगाहर्ट्स की रेंज में रेडियो आवृत्ति बैंड, निजी क्षेत्र की कंपनी या निगम या कोई सरकारी संगठन के द्वारा निर्धारित स्थलीय मापदंडों के आधार पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी के हेतु छीड स्पेक्ट्रम पर आधारित नॉन-इंटरफेरेंस प्रकार के और अधिकतम 4 वाट ई आई आर पी तथा 10 मेगाहर्ट्स के अधिकतम चैनल छीड तक सीमित वायरलैस उपस्कर के प्रतिष्ठापन हेतु उपलब्ध है । न्यूनतम संकुलता के आधार पर प्रत्येक जिले हेतु 10 मेगाहर्ट्स के 2 या 3 चुनिंदा बैंडों की जिलावार डायरेक्टरी नियत समयावधिवार डब्ल्यू पी सी द्वारा जारी की जाएगी । नॉन इंटरफेरेंस, नान प्रोटेक्शन, नॉन-एक्सक्लुसिवनेस के आधार पर बैंड का प्रयोग होगा, निजी सैक्टर, पब्लिक सैक्टर और सरकारी प्रचालक डॉट का आवेदन करेंगे और डब्ल्यू पी सी से लाइसेंस एवं पंजीकरण लेंगे । सुरक्षा निपटान को अधिगत करने के लिए डॉट एक आंतरिक प्रक्रिया प्रणाली प्रतिष्ठापित करेगा जिसके द्वारा महत्तम 45 दिवसों में "सुरक्षा निपटान" अधिगत किया जा सकेगा। प्रचालक निगरानी हेतु निर्धारित सुविधाओं को उपलब्ध कराएँगे । निर्धारित शर्तों के उल्लंघन करने पर और चूक कर्ताओं पर निम्न तीन स्तरों के अनुसार पैनल्टी लगाने के लिए डब्ल्यू पी सी को अधिकृत किया जाएगा : लिखित चेतावनी, वित्तीय अर्थ-दण्ड और दो वर्ष निकालने के प्रकारों को लेते हुए दोषियों पर पेनल्टी लगायेगा । उपर्युक्त नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए डॉट के सचिव की अध्यक्षता में तकनीकी लेखा परीक्षा एकक का गठन होगा जिसमें वक्षा, डॉट, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, रा.सू.वि.केन्द्र और नासकॉम (निजी क्षेत्र के प्रयोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने के सीमित उद्देश्य हेतु), प्रत्येक में से प्रतिनिधि होंगे ।
मद सं. 20(घ) पैरा तीन की दूसरी पंक्ति	आवश्यक	निर्यात तुल्य
मद सं. 22 की पहली पंक्ति	बंधित कार्यालय या	———
मद सं. 22 की दूसरी से तीसरी पंक्ति	पश्चात् इलेक्ट्रॉनिकी	पश्चात् बंधित कार्यालय या इलेक्ट्रॉनिकी/
मद सं. 26 के चौथे पैरा की पहली पंक्ति	सरकारी एजेन्सियों को	संबंधित एजेन्सियाँ
मद सं. 27	आयकर ..संबंध नहीं होगा	आयकर अधिनियम की धारा 80 एच एच ई में सॉफ्टवेयर और सेवा निर्यात से हुए लाभ पर आयकर छूट प्रदान की गयी है । इस खण्ड में निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे : वर्तमान फार्मूला ऐसे बदला जायेगा कि लाभ पर "कर" का घरेलू बिक्री संबंध में नहीं होगा ।
मद सं. 32 व 34	पूंजी	पूंजी (प्रत्येक स्थान पर पूंजी पढ़ा जाए)
मद सं. 36 की दूसरी पंक्ति	उद्यम जमा पूंजी में समतुल्यता	वेंचर कैपिटल फंड में "ईक्यूटी"
मद सं. 37	उद्योग .. स्थापित करेंगे	उद्योग की क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम से कम 4 विभिन्न डेडिकेटिड वेंचर कैपिटल फंड, जिसमें से प्रत्येक की पूंजीगत समर्पित निधि कम से कम 50 करोड़ रुपये हो, को स्थापित करने के लिए बैंक/वित्तीय संस्थायें जैसे आई सी आई सी आई, आई डी बी आई, यू टी आई और स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया भारतीय या विदेशी कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करेंगे ।

मद सं. 38	वैचर . . जाती है	"वैचर" के पूंजीपतियों को आयकर के लिए ब्लॉक वर्षों के दौरान किसी एक निवेशित कम्पनी में हुए घाटे को किसी अन्य निवेशित कम्पनी में हुए लाभ द्वारा समायोजित करने की अनुमति दी जाती है ।
मद सं. 39 का दूसरा पैरा	(66) स्वेट..दी जायेगी	"(66) स्वेट-ईक्विटी" का अभिप्राय: ऐसी ईक्विटी से है जोकि प्रोमोटर डायरेक्टरों, पूर्णकालिक निदेशकों या कर्मचारियों के द्वारा कम्पनियों को कोई जानकारी, बौद्धिक संपत्ति या वेल्यु एडीशन प्रदान करने के लिए दी जायेगी ।
मद सं. 42	व्यापार .....करेगा	व्यापार की अत्याधिक तेजी तथा आई टी सॉफ्टवेयर और आई टी सर्विस निर्यातकों द्वारा अनुभव की जाने वाली अत्याधिक प्रतियोगिता और तीव्रगति से होने वाली प्रौद्योगिकीगत अप्रचलनता को सम्मान रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक एक इंटर इंस्टीट्यूशनल ग्रुप (आई आई जी) प्रतिष्ठापित करेगा जो कि एक महीने के भीतर निम्नलिखित संस्तुतियों को अधिकतम रुप से समायोजित करेगा :
मद सं. 42(क)	ऐसे . .दिया जायेगा।	ऐसे सॉफ्टवेयर निर्यातकों के लिए जिनकी पिछले 3 वर्षों में की गयी संचयी वास्तविक निर्यात वसूली यू एस डालर 25 मिलियन से अधिक हो, सूचना-प्रौद्योगिकी/सॉफ्टवेयर कम्पनियों के अर्जन करने हेतु विदेशी निवेश के लिए, पिछले तीन वर्षों में उपार्जित संचयी वास्तविक निर्यात राशि में से 50% राशि या यू एस डालर 25 मिलियन, जो भी कम है, के लिए खुला अनुमोदन दिया जायेगा । यह अनुमोदन उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा सॉफ्टवेयर उद्योग से संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।
मद सं. 42(ग) की पहली पंक्ति	समुद्री	विदेशी
मद सं. 42(ग) की पहली पंक्ति	को पूंजी प्रदान करने	के पूंजीकरण
मद सं. 42 (ङ)	चरणबद्ध...देगा;	चरणबद्ध रुप से संप्रेषित निधि तथा दूसरे स्तर की और उच्च स्तरीय सब्सिडिरीज पर अवरोधों को समाप्त करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ई ई एफ सी की मार्गदर्शी विवरणिका जारी करेगा, और निम्नलिखित पर ई ई एफ सी के शेष राशियों के 20% उपयोग के लिए अनुमति देगा :
मद सं. 48	विदेशों में . . .दी जाएगी	विदेशों में थोक कम्पनियों को स्थापित करने के लिए भारतीय विपणन कम्पनियों को सक्षम बनाकर पैकेज सॉफ्टवेयर के विकास से प्राप्ति में वृद्धि की जायेगी । उन्हे इंटरनेट के माध्यम से भारत से पैकेज सॉफ्टवेयर का विपणन करते हुए और अधिक प्रत्यास्थता दी जाएगी ।
मद सं. 51 की दूसरी पंक्ति	"लार्जनिधे	"लार्जनिधि"
मद सं. 52 की पहली पंक्ति	वाई-2 की	वाई-2 के की
मद सं.52 की पहली पंक्ति	1000	सैलकों
मद सं. 54 की दूसरी पंक्ति	डी ई पी बी के व्यापार	डी ई पी बी के रुपये पर आधारित व्यापार
मद सं. 54 की तीसरी पंक्ति	में	को
मद सं. 64 की तीसरी पंक्ति	आई आई टी	(आई आई आई टी)
मद सं. 68 की पहली पंक्ति	भारत के.....लिए संस्था	इंस्टीट्यूट फॉर कम्प्यूटर प्रोफैशनल्स ऑफ इंडिया
मद सं. 71 की दूसरी पंक्ति	कर्मचारियों	ज्ञान-कार्मिकों
मद सं. 73 की पहली पंक्ति	के लिए	के संयोजन के लिए
मद सं. 73 की दूसरी पंक्ति	के कार्यकलापों..... के लिए	- -

मद स. 74	व्यापक ...की जायेगी	व्यापक साक्षरता प्राप्त कुछ प्रमुख जिलों मे सभी माध्यमिक स्कूलों में व्यापक कम्प्यूटर साक्षरता प्राप्त कराने के उद्देश्य से व्यापक एक प्रायोगिक परियोजना शुरु की जाएगी । इसके साथ-साथ उच्च स्तर की शिक्षा अवसंरचना पर विश्व श्रेणी की क्षमता पैदा करने के उद्देश्य से इन जिलो में शैक्षणिक संस्थानों के नेटवर्क के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक प्रादुर्भाव कराने के कार्य मे सहायता प्रदान की जाएगी । यह प्रायोगिक परियोजनाएं स्थानीय शैक्षणिक संस्थानों,, संबद्ध राज्य केन्द्र सरकार के लिए सरकारों और संयुक्त प्रयासों से कार्यान्वित की जाएंगी।
मद सं. 84 की पहली पंक्ति	सुरक्षा रखने के	सुरक्षा संबंधित सूचना के
मद सं. 88 की पहली पंक्ति	बजट के 1.3 प्रतिशत	बजट के 1 से 3 प्रतिशत
मद सं. 91	टेलीकॉम्यूटिंग...जाएगा	टेलीकॉम्यूटिंग की कार्यालय में कार्य करने की नई पद्धति के रुप में पहचान की गई है और उसको सम्बोजित करते हुए श्रम कानून बनाये जाएगे । "उद्देश्यो द्वारा प्रबंधन" (एम.बी.ओ.) की संरचना के अन्तर्गत टेलीकॉम्यूटिंग के माध्यम से उनके कार्य के भाग को पूरा करने के लिए व्यवहार्य और कार्य दक्ष होने पर कर्मचारियो को विकल्प दिया जाएगा ।
मद सं. 92 की पहली पंक्ति	उद्देश्यों	अवयवों
मद सं. 98 की पहली पंक्ति	सरकारो को मदद	सरकारों को "आई टी-रैस्पोन्सिव" बनाने में मदद
मद सं. 101 की पहली पंक्ति	राष्ट्रीय	सूचना
मद सं. 101 की तीसरी पंक्ति	क्षेत्र मंत्रालय और	क्षेत्र मंत्रालय, इलैक्ट्रॉनिकी विभाग और
मद सं. 107	सचिवो . .किया जाएगा	सचिवो की समिति द्वारा गठित साइबर कानून समिति द्वारा तैयार किये गये साइबर कानून के ड्राफ्ट सेट को उपयुक्त संशोधन करते हुए अनुमोदित किया जायेगा और प्रथम चरण के रुप मे सरकार द्वारा 6 माह के भीतर कार्यान्वित किया जाएगा ।
मद सं. 108	पद्धतियों/ .... तय करेगी	पद्धतियो/कानूनी कार्यकलापों के संबंध में सभी आवश्यक अनुदेश, अधिसूचनायें और संशोधनों को संबद्ध मंत्रालयो/विभागो द्वारा न्यूनतम आवश्यक समय सीमा मे जारी किया जायेगा । ड्राफ्ट के मामले मे इसमें टी आर ए आई के साथ परामर्श की समयावधि शामिल होगी । डी ए आर एण्ड पी जी और एम ओ एस कार्यदल द्वारा सम्बद्ध लाये गये सभी कानूनी मुद्दो (अधिनियमों के संशोधन को शामिल करते हुए) के सभी ब्यौरों की जाँच करेगा और कानूनी प्रारुप की सिफारिश करेगा । मानव संसाधन मंत्रालय में एक इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी संस्तुतियो (58) से (75) तक मे सामने लायी गयी प्रत्येक गतिविधि हेतु एक समयावधि को सुनिश्चित करेगी और इस संबंध में प्राथमिकताओं को तय करेगी ।

डॉ न. शेषगिरि, विशेष सचिव

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.